न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : आशाराम डूडी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 107/2016

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
माला वल्द जीवाजी के कायम मुकाम 1. होतीराम पुत्र स्व. मालाजी 2. गजाराम पुत्र स्व. मालाजी 3. बाबुराम पुत्र स्व. मालाजी 4. राणाराम पुत्र स्व. मालाजी जातियान माली निवासीयान भीनमाल तहसील भीनमाल जिला जालोर।		1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर जालोर जिला जालोर 2. भूमिधारी तहसीलदार भीनमाल जिला जालोर।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

श्री भगवानाराम विश्नोई, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट

सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

–: निर्णय :–

दिनांकः– 07.06.2019

अपीलान्ट्स की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलक्टर भीनमाल द्वारा राजस्व वाद संख्या 03/2011 बउनावान माला बनाम राजस्थान राज्य वगैरा में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 31.08.2016 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद खातेदारी घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का इस आशय में पेश किया कि गांव भीनामल के पुराने खसरा नंबर 2904 रकबा 22 बीघा 16 बिस्वा किस्म बारानी द्वितीय आई हुई है। जिसके द्वितीय सेटलमेंट कार्यवाही के दौरान नये खसरा नंबर 5326 रकबा 1.20 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम, खसरा नंबर 5327 रकबा 1.80 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम, व खरा नंबर 5358 रकबा 4.68 हैक्टेयर जमाबंदी में दर्ज है। खसरा नंबर 2904 की भूमि पर प्रथम सेटलमेंट से पूर्व वादी का कब्जा था तथा इसकी खातेदारी उसमें भूलवश वादी के नाम दर्ज नहीं हुई। वादी का कब्जा काश्त इस खेत पर आया होने से संवत 2016 में खेत में वादी की खरीफ की

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

फसल बोयी हुई थी। इससे पूर्व संवत 2013 से 2015 तक बाजरे व तिल की काश्त वादी द्वारा की हुई होने से खसरा गिरदावरी में कब्जा काश्त वादी का दर्ज है, परन्तु सरकारी सिवायचक खाते में दर्ज कर दी गई। वादी के विरूद्ध बेदखली की कार्यवाही प्रतिवादी द्वारा नहीं की गई। वर्ष 1972 मे यह भूमि काबिल काश्त आवंटन योग्य होने से वादी ने इस भूमि का आवंटन चाहा। तब वादी को पुराने खसरा नंबर 2904 में से 12 बीघा 10 बिस्वा भूमि का आवंटन भूमि आवंटन सलाहकार समिति उपखंड अधिकारी भीनमाल द्वारा आवंटित की गई तथा नियमानुसार वादी से उस समय सनद राशि ली तथा वादी उस समय यह विश्वास कर बैठा कि जमीन वादी के नाम खातेदारी दर्ज हो चुकी है। प्रतिवादी सरकार की तरफ से सिवायचक भूमियो का रजिस्टर रखा जाता है, उसमें भूमि खसरा नंबर 2904 पुरानस काबिल आवंटन काश्त होने से इसका शिविर आयोजन कर भूमि का आवंटन वादी को किया गया एवं आवंटित भूमि का राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज करने का आदेश दिया गया। प्रतिवादी के कार्यालय में उनके कब्जे व नियंत्रण में दस्तावेज है। वादी की आयु अधिक हो जाने से ऐसे आवंटन दसतवेज के वारे में जानकारी वर्तमान में कम है, जिससे वादी अपने नाम आवंटित भूमि पुराने खसरा नंबर 2904 में 18 बीघा 10 बिस्वा का विधिवत खातेदार हो चुका है। उक्त आराजी के संबध में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत कर खातेदारी घोषित करने का अनुतोष चाहा। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। एवं दिनांक 19.05.2011 को तनकीयात कायम की गई तथा वादी द्वारा दस्तावेजी सबूत व साक्ष्य अधीनस्थ न्यायलय के समक्ष प्रस्तुत की गई। प्रतिवादी की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई। उसके पश्चात अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील निर्णय व डिक्री द्वारा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर यह अपील हाजा न्यायलय के समक्ष प्रस्तुत की गई है। रेस्पोडेन्ट सरकार का यह दायित्व बनता है कि किसी व्यक्ति के खातेदारी अधिकारी उद्भूत होते है तो उसका इन्द्राज राजस्व अभिलेख में कर देना चाहिये, परन्तु रेस्पोडेन्ट ने ऐसा इन्द्राज न कर अपने अधिकारो को पालन नहीं किया है। वादग्रस्त आराजी पर अपीलांट का आदिनांक तक कब्जा काश्त है व आवंटित भूमि का विधिवत अपीलांट खातेदार बन चुका है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 24.07.1972 का बैठक कार्यवाही रजिस्टर व वादी की तरफ से पेश फोटो कॉपी पत्रावली पर उपलब्ध थी किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस पर कोई गौर नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में दिनांक 16.11.2015 को आवंटन आदेश की फोटो कॉपी को रेकर्ड पर लेने की दरख्वास्त पेश हुई थी जिस पर कोई आदेश पारित किये बिना अधीनस्थ न्यायालय जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री में अपीलांट पक्ष की साक्ष्य का विश्लेषण प्रत्येक तनकीवार नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील निर्णय व डिक्री विधि के प्रावधानो के विरूद्ध पारित की गई है। जो कि विधिसम्मत नहीं है। अत

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायलय द्वारा पारित जैर अपील निर्णय व डिक्री अपास्त की जावे।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी प्रथम सेटलमेंट से सिवाय चक राजकीय भूमि दर्ज है। एवं वर्तमान में भी सिवायचक दर्ज है। जो नियमानुसार खातेदारी नहीं दी जा सकती है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट द्वारा कोई आवंटन आदेश सनद फीस जमा राशि की रसीद इत्यादि प्रस्तुत नहीं की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील निर्णय व डिक्री समस्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए पारित किया गया है। अत अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावलनी पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 2904 रकबा 18 बीघा 10 बिस्वा के संबध में प्रस्तुत कर खातेदारी घोषित कराने बाबत निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। हस्तगत प्रकरण में यह निर्विवाद सत्य है कि वादग्रस्त आराजी प्रथम सेटलमेंट से आदिनांक तक राजस्थान सरकार की स्वामित्व की आराजी दर्ज है। साथ ही अपीलांट द्वारा भूमि आवंटन के संबध में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कोई आवंटन आदेश सनद फीस जमा राशि की रसीद इत्यादि प्रस्तुत नहीं की गई। वर्तमान जमाबंदी प्रदर्श संवत 2064–67 में वादग्रस्त आराजी राजस्थान सरकार के स्वामित्व में दर्ज है। एंव कानूनन राजकीय सिवाय चक भूमि की खातेदारी नही दी जा सकती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए तनकीयात कायम करते हुए जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। जिसमें हमे किसी प्रकार की विधिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज की जात है तथा सहायक कलक्टर भीनमाल द्वारा राजस्व वाद संख्या 03/2011 बउनावान माला बनाम राजस्थान राज्य वगैरा में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 31.08.2016 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 07.06.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आशाराम डूडी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली